

Insolvency and Bankruptcy Board of India

**No. IBBI/PR/2023/10
19th September, 2023**

Press Release

Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (CIRP Regulations)

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI/ Board) notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023 (Amendment Regulations) on 18th September, 2023.

2. To facilitate smooth conduct of corporate insolvency resolution process (CIRP), the amendment regulations add a provision regarding the assistance and cooperation expected from the personnel of the corporate debtor (CD) by providing a detailed procedure for taking custody and control of assets and records of the CD by the resolution professional (RP).
3. To facilitate the Adjudicating Authority (AA) burdened with applications for acceptance of delayed claims, the Amendment Regulations increase the timelines to file claims up to the date of issue of request for resolution plans under regulation 36B or ninety days from the insolvency commencement date, whichever is later. It further empowers the RP to give his view on the acceptance of claim for its collation even for claims submitted beyond this time and committee of creditors (CoC) to recommend their acceptance for inclusion in the list of claims and its treatment in the resolution plan before the same is adjudicated or condoned by the AA.
4. To facilitate the class of creditors specially home buyers, the amendments provide enhanced role and responsibilities of the authorised representative (AR). Some of the important duties of the AR are (i) to review the contents of minutes prepared by the RP to ensure correctness and completeness, (ii) to provide assistance to the creditors in evaluating resolution plan, (iii) to regularly update the creditors in a class on the progress of the CIRP, (iv) to assist in modifications of the resolution plan on behalf of class of creditors represented by him, etc. Fees of the AR have also been enhanced in line with the increased role. A procedure for replacement of AR has also been introduced.
5. To make the resolution process more transparent and robust, the amendment enables committee members to get an audit of the CD conducted and makes cost of such audit to be part of CIRP cost.
6. The amendment aligns the timelines concerning various procedural aspects like issuance of information memorandum and request for resolution plans.
7. To improve the value received in the resolution plan, the amendment provides changes to Form G to provide more information to prospective resolution applicants with less effort on their part.
8. The amendment provides for inclusion in compliance certificate (Form H), the minutes of committee of creditors in which resolution plan is approved to enable the AA to understand the rationale of the decision of the CoC in a better manner.

9. In case of assignment of debt by a creditor to another person, the details of such assignment are required to be provided to the RP. The amendment, now, specifies a timeline of seven days to provide such details to enable smooth conduct of meeting of CoC.

10. The Amendment Regulations specify for submitting details of chronology of debt, default, and limitation along with evidence in case of application filed u/s 7 or 9 so that the AA is facilitated in adjudicating such cases.

11. The amended regulations are effective from 18th September, 2023. These are available at www.ibbi.gov.in.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं.आईबीबीआई/पीआर/2023/10

19 सितंबर, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई/बोर्ड) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (सीआईआरपी विनियम) को 18 सितंबर, 2023 को अधिसूचित किया है ।

2. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संशोधन विनियम कॉर्पोरेट देनदार के कर्मचारियों से अपेक्षित सहायता और सहयोग के संबंध में एक प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें आईआरपी/आरपी द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति और रिकॉर्ड की कस्टडी और नियंत्रण लेने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करी है।

3. विलंबित दावों की स्वीकृति के लिए आवेदनों से बोझिल न्याय निर्णय प्राधिकरण (एए) को सुविधाजनक बनाने के लिए, संशोधन विनियम 36ख के तहत समाधान योजनाओं के अनुरोध जारी करने की तिथि या दिवाला प्रारंभ तिथि से नब्बे दिन, जो भी बाद में हो, तक दावे दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाते हैं। यह आगे आर.पी को इस समय सीमा के बाद प्रस्तुत दावों के समेकन के लिए अपनी राय देने का अधिकार देता है और सीओसी को समाधान योजना में शामिल करने के लिए उनकी स्वीकृति की सिफारिश करने का अधिकार देता है इससे पहले कि उनका एए द्वारा निर्णय या देरी को क्षमा किया जाए।

4. लेनदारों के वर्ग, विशेष रूप से घर खरीदारों को सुविधाजनक बनाने के लिए, संशोधन अधिकृत प्रतिनिधि (एआर) की बढ़ी हुई भूमिका और जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं। एआर के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं (i) शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए आरपी द्वारा तैयार किए गए मिनटों की सामग्री की समीक्षा करना, (ii) समाधान योजना के मूल्यांकन में लेनदारों को सहायता प्रदान करना, (iii) नियमित रूप से सीआईआरपी की प्रगति पर एक वर्ग में लेनदारों को अपडेट करना, (iv) अपने द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लेनदारों के वर्ग की ओर से समाधान

योजना में संशोधन में सहायता करना आदि। बढी हुई भूमिका के अनुरूप एआर की फीस भी बढा दी गई है। एआर के प्रतिस्थापन के लिए एक प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

5. समाधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए, संशोधन समिति के सदस्यों को कारपोरेट देनदार का ऑडिट करवाने में सक्षम बनाया है और इस तरह के ऑडिट की लागत को सीआईआरपी लागत का हिस्सा बनाया है।

6. संशोधन सूचना जापन जारी करने और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जैसी विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित समयसीमा को संरेखित करता है।

7. समाधान योजना में प्राप्त मूल्य में सुधार करने के लिए, संशोधन फॉर्म G में परिवर्तन प्रदान करता है ताकि संभावित समाधान आवेदकों को उनकी ओर से कम प्रयास के साथ अधिक जानकारी प्रदान की जा सके।

8. संशोधन में अनुपालन प्रमाणपत्र (फॉर्म एच) में उस समिति की बैठक के मिनटों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है जिसमें समाधान योजना को मंजूरी दी गई है ताकि एए को सीओसी के निर्णय का औचित्य समझने में सक्षम बनाया जा सके।

9. किसी लेनदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के हस्तांतरण के मामले में, ऐसे हस्तांतरण का विवरण आरपी को प्रदान करना आवश्यक है। संशोधन, अब, सीओसी की बैठक के सुचारु संचालन को सक्षम करने के लिए इस तरह के विवरण प्रदान करने के लिए सात दिनों की समयसीमा निर्दिष्ट करता है।

10. संशोधन विनियम धारा 7 या 9 के तहत आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में साक्ष्य के साथ ऋण, चूक और सीमा के कालक्रम का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं ताकि एए को ऐसे मामलों में निर्णय लेने में सुविधा हो ।

11. संशोधित विनियम 18.09.2023 से प्रभावी हैं। ये www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
